प्रेस नोट

सराहनीय कार्य दिनांक 05.07.25

मॉनिटरिंग सैल शाहजहाँपुर

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत शाहजहाँपुर पुलिस का सफलतम प्रयास

"धारा 302/504 भादवि के आरोपी को आजीवन कारावास एवं 26 हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया"

श्री राजीव कृष्ण, पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 के आदेशनुसार जनपद में जघन्य अपराधों को कडी सजा से दण्डित करवाये जाने हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के क्रम में श्री रमित शर्मा, अपर पुलिस महानिदेशक महोदय, बरेली जोन बरेली व श्री अजय कुमार साहनी पुलिस महानिरीक्षक महोदय, बरेली परिक्षेत्र बरेली महोदय के निर्देशानुसार श्री राजेश द्विवेदी, पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर के कुशल निर्देशन में, श्री देवेन्द्र कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक नगर व श्री प्रयांक जैन, क्षेत्राधिकारी सदर/पार्टी प्रभारी के कुशल पर्यवेक्षण में अपराधियों को शीघ्र एवं कठोर सजा दिलाने में शाहजहाँपुर पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई।

इस क्रम में मॉनिटरिंग सैल, व थाना खुदागंज पुलिस तथा अभियोजन विभाग द्वारा समन्वय स्थपित करके समयबद्ध रुप से मा0न्यायालय ए0डी0जे0-03 में साक्षियों को साक्ष्य कराकर प्रभावी पैरवी किए जाने के उपरान्त थाना खुदागंज में अभियुक्त द्वारा वादी के घर में घुस कर उसके पुत्र के साथ मारपीट करना तथा गला दबा कर पुत्र की हत्या कर देने के आरोपी **अजय उर्फ दीवान सिंह पुत्र कृष्णपाल सिंह निवासी ग्राम बरौरा थाना खुदागंज जनपद शाहजहांपुर** को **आजीवन कारावास एवं 26 हजार रूपये अर्थदण्ड** से दण्डित किया गया।

सजा प्राप्त किये अभियुक्त का विवरण:-

अजय उर्फ दीवान सिंह पुत्र कृष्णपाल सिंह निवासी ग्राम बरौरा थाना खुदागंज जनपद शाहजहांपुर

घटना व सजा का विवरण:-

मु0अ0सं0 310/2020 धारा 302/504 भादवि थाना खुदागंज जनपद शाहजहांपुर में अभि0 अजय उर्फ दीवान सिंह पुत्र कृष्णपाल सिंह निवासी ग्राम बरौरा थाना खुदागंज जनपद शाहजहांपुर द्वार द्वारा वादी के घर में घुस कर उसके पुत्र के साथ मारपीट करना तथा गला दबा कर पुत्र की हत्या कर देने के आरोप में आजीवन कारावास एवं 26 हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।